

राजस्थान सरकार

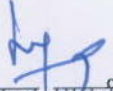
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 4 (ई) (1) (6) अलेसे-III / 480

दिनांक 03.8.2016

आदेश संख्या 72 / 2016-17

श्री अशोक कुमार गुप्ता कनिष्ठ लेखाकार (लिनक नंबर 8907) कार्यालय केन्द्रीय कारागार ,सेवर जिला भरतपुर को कार्यमुक्त कर दिये जाने पर श्री गुप्ता क.लेखाकार को दिनांक 3.8.2016 से आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुए आगामी आदेशों तक अपनी उपस्थिति कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर में दिये जाने के निर्देश जारी किये जाते हैं।


(पंकज पाटनी)

 निदेशक

क्रमांक एफ 4 (ई) (1) (6) अलेसे-III / 480

दिनांक 3.8.2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संयुक्त शासन सचिव ,वित्त (राजस्व)विभाग जयपुर
- 2 जिला कलक्टर ,भरतपुर
- 3 अधीक्षक केन्द्रीय कारागार भरतपुर
- 4 कोषाधिकारी भरतपुर
- 5 श्री अशोक कुमार गुप्ता कनिष्ठ लेखाकार को अविलम्ब पालनार्थ
- 6 उप निदेशक (एसीपी)निदेशालय को अपलोड करने व पीआईएस में प्रविष्टि हेतु
- 7 अति.निजी सचिव निदेशक
- 8 निजी पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक -III)